न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **237/17 (वाद)**
(GCMS No. : 2017/00607)

1. श्री दिनेश शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।
2. श्री विनोद शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।
3. श्री संतोष शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भगत पिता विनोद खत्री निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री कपिश पिता लक्ष्मीलाल पगारिया निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री रविशंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 17.12.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली में साबिक आराजी नम्बर 586, 587, 588, 589, 590, 591, 594, 595, 593, 592, 626, 627 कुल आराजीयात हम वादीगण व हमारे परिवार वालों की है। वर्तमान में केवल साबिक आराजी नम्बर 627 का विवाद है। आराजी नम्बर 627 व 626 एक ही सरवेले में हैं। 627 व 626 के बीच में और किसी की कोई जमीन नहीं है तथा इस आराजी के पश्चिम के पश्चिम में सडक आ गई हैं।
2. यह कि आराजी नम्बर 627 के नये नम्बर दीगर आराजीयात के साथ 1637 है जिसका रकबा 3 बिस्वा है और वर्तमान में उक्त आराजी हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में खातेदारी के हिसाब से दर्ज है तथा इस आराजी में हम वादीगण की ओर से हनुमान मन्दिर बना हुआ है जो हमारे पूर्वजों के वक्त से चला आ रहा है जो हमारा निजी मन्दिर है। इस मन्दिर का दरवाजा दक्षिण की तरफ है तथा मन्दिर पर चढने के लिए सीढ़िये बनी हुई है तथा मन्दिर के आगे ही दक्षिण की तरफ इसी आराजी की कुछ जमीन छुटी हुई है उसमें पशुओ के पानी पिलाने के लिए हमने एक प्याऊ बना रखी है तथा हमारे कुंए से ही हम इस प्याऊ में जल भरते है तथा इस प्याऊ के पास ही हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 16:30:52 IST
Reason: SelfAttested

दीगर खेतो में जाने के लिए फाटक बनी हुई है तथा सडक से हमारी उस छुटी हुई जमीन में हमारे खेतों में प्रवेश करते है। मन्दिर के इसी सरवेले में दक्षिण की ओर हमारी इस छुटी हुई जमीन के आगे एक चबूतरा बना हुआ है और उसके आगे हमने खडकमा पत्थरों की कोट बना रखी है। इस तरह आराजी नम्बर 1636 और 1634 के बीच में और किसी की कोई जमीन नहीं हैं।

3. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अपने को गांव का मुखिया बता करके जोर जबरदस्ती से उनका वहां कोई हक हकूक नहीं होते हुए जबरदस्ती उक्त हमारे स्वामित्व के मन्दिर के दिक्षणी साईड में जहां पशुओं को पिलाने के लिए प्याऊ बनी हुई है उस प्याऊ को भी मिस मारकर वहां जबरदस्ती चबूतरे का निर्माण कराना चाह रहे है और ऐलानिया यह कह रहे है कि यह मन्दिर तो सार्वजनिक है और हम यहां पर चबूतरे का निर्माण करेगें और मन्दिर पर भी छाया करायेगे जबकि मन्दिर व उसके दक्षिण वाली जमीन हम वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं। हमारी बिना इजाजत के उस पर किसी को भी कारतामीर कराने का हक नहीं हैं।

4. यह कि हम वादीगण उदयपुर रहते हैं। शनिवार रात्रि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जोर जबरदस्ती से वहां पर प्याऊ को भरने का कार्य शुरू किया। हमे सूचना मिली तो दिनांक 24 सितम्बर 2017 को हम वादीगण मौके पर आये और उसको मना किया। फिर भी वे नहीं माने और ऐलानिया यह धमकी दी कि मन्दिर तो सार्वजनिक होता है हम इच्छा हो जो करेगें तथा झगडे पर आमादा हुए। झगडे की सम्भावना देखते हुए हम वादीगण ने पुलिस थाना मावली में इत्तला की तथा स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर आकर पटवारी की शामलात से मौके देखा और उन्होने भी हम वादीगण का मामला सही पाया औरा प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का गैरकानूनी कार्य करने से रोक दिया।

5. यह कि इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं और जन भावना का मामला बताते हुए पंचायत को भी इसमें इनवाल्वड करके मौके पर जबरन काम करने पर उतारू हो रहे है जबकि हमारी खेती की जमीन है। पंचायत को भी खेती की जमीन में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है तथा इन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का भी किसी प्रकार का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है तथा इन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का भी किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार नहीं होते हुए भी हमारी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नाजायज कार्य करने पर तुले

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2021.01.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested

हुए हैं। अतः हम वादीगण उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6. यह कि हम वादीगण का प्राइमाफैसी केस है। मन्दिर हमारा नीजी है। मन्दिर के दक्षिण में भी वों जमीन हमारी आराजी में है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का वहां कोई लेना देना नहीं हैं। केवल नेतागिरी के आधार पर जोर जबरदस्ती से चबूतरा बनाना चाह रहे है जबकि वहां पर हमारी प्याऊ बनी हुई है और चबूतरा बन जाने से मवेशियों का सडक से प्याऊ तक पहुंचना मुश्किल हो जावेगा। इस तरह सुविधा संतुलन तथा अशोधनीय हानि का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है जबकि इसके विपरित प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उन्हे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं, उनके परिवारजन, नौकर चाकर एजेन्ट कोई भी हम वादीगण की आराजी नम्बर 1637 जिसमें मन्दिर बना हुआ है तथा मन्दिर के दक्षिण भाग में जो हमारी छूटी हुई जमीन जिसमें प्याऊ बनी हुई है उस कुलिया भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रवेश नहीं करे तथा वहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, अगर दौराने मुकदमा कोई निर्माण कार्य कर देवे तो इसी वाद से उसको हटाया जावें। हटाये जाने की डिक्री फरमाई जावे खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य कोई कानूनी दाद मुफीद वादीगण हो तो प्रदान कराई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

9. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री दिनेश शंकर का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1,2,3 नक्शा ट्रेस पदर्श 4ए व 5ए एवं नामान्तरकरण की नकल प्रदर्श 6ए पेश की।

10. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2021.01.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपनी पैतृक भूमि बताते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा दखलंदाजी करने से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है। हमारे द्वारा वादपत्र के अवलोकन से भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम हिस्सेनुसार विरासत से दर्ज होना पाया गया है। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दखलंदाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है जिससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता है। अतः वादीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रोका नहीं जाता है तो इससे वादीगण खातेदार को भारी क्षति होने की संभावना है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। वादीगण उक्त वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आ.न. 1637 रकबा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 दखलंदाजी नहीं करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। उक्त कार्य न स्वंय न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यिादी के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दिनेश शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।
2. श्री विनोद शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।
3. श्री संतोष शंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली हाल उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भगत पिता विनोद खत्री निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री कपिश पिता लक्ष्मीलाल पगारिया निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री रविशंकर पिता ज्ञानशंकर शर्मा निवासी मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 237/17 (वाद) (GCMS–2017/00607)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आ.न. 1637 रकबा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 दखलंदाजी नहीं करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। उक्त कार्य न स्वंय न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यिादी के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.12.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested